कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती/संत कबीर नगर

संख्यांक/निरीक्षण/ 1112-13 /2014-15 तारीख 31/12/014

प्रबन्धक,
अवध गर्ल्स इण्टर कालेज
कड़जा सेमरियावां, बस्ती/संतकबीरनगर

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए **मान्यता प्रमाण–पत्र।**

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.08.2014 के आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राजात/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं अवध गर्ल्स इण्टर कालेज, कड़जा सेमरियावां, बस्ती/संत कबीर नगर को तारीख 01.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए प्री–प्राइमरी, प्राइमरी एवं जू0हा0स्कूल स्तर (प्राइमरी स्तर से पूर्व की दो कक्षाये तथा एक से आठ तक की कक्षाओं) के लिए अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम, मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है :–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंध करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधो का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा के बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा–विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जाएगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्रदान करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आय का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा।

   विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :

   (i) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

   (ii) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

   (iii) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।

Principal
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar 272126 (U.P.)

Manager
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar 272126 (U.P.)

(iv) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण–पत्र प्रदान किया जाएगा।

(v) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(vi) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हतायें नहीं है,पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेगें।

(vii) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(viii) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन क्रियाकलापो में नियोजित नहीं करेगें।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएं निम्नानुसार है।
   - विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– **11510 वर्गमीटर**
   - कुल निर्मित क्षेत्र– **697 वर्गमीटर**
   - क्रीड़ा– स्थल का क्षेत्रफल– **4000 वर्गमीटर उपलब्ध है।**
   - कक्षाओं की संख्या– **10 उपलब्ध है।**
   - प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भंडागार के लिए कक्ष–**उपलब्ध है।**
   - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय –**उपलब्ध है।**
   - पेयजल सुविधा – **उपलब्ध है।**
   - मिड–डे–मिल पकाने के लिए रसोई – **उपलब्ध**
   - वाधारहित पहुँच– **उपलब्ध है।**
   - अध्यापक पठन सामग्री/क्रीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता– **उपलब्ध है।**
9. विद्यालय की कक्षाओं के भीतर या उसके बाहर विद्यालयों के नाम से कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएगी।
10. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
11. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
12. विद्यालय के लेखाओं को किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिये और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिये तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिये। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिये।
13. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड सी–190/2015 है, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्याक का प्रयोग करें।
14. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जायें।
15. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाये।

Principal
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar 272126 (U.P.)

Manager
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar 272126 (U.P.)

16. शिक्षकों/कर्मचारियों की नियुक्ति में उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक शिक्षा स्कूल (जू0हा0स्कूल) (अध्यापकों की भर्ती और सेवा की शर्तें) नियमावली 1978 में विहित प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
17. जिस विद्यालय भवन पर उक्त मान्यता प्रदान की जा रही है, उस विद्यालय भवन पर पूर्व से प्राप्त की गयी मान्यता स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
18. मान्यता आवेदन पत्र तथा संलग्न पत्राजातों में उल्लिखित अन्य कोई विवरण/तथ्य असत्य पाये जाते है, अथवा कोई तथ्यगोपान पाया जाता है या मान्यता आदेश प्रमाण पत्र में जिन कक्षाओं का उल्लेख है उसके अतिरिक्त अन्य कक्षाऐं संचालित पाये जाने पर मान्यता प्रमाण–पत्र नियमानुसार निरस्त कर दिया जायेगा।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रताप)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती/संतकबीरनगर
31/12/2014

पृ0सं0–संख्याक/निरीक्षण/ /2014–15 तद्दिनांक
प्रतिलिपि–सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) बस्ती मण्डल, बस्ती को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती/संतकबीरनगर

Principal
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar 272126 (U.P.)

Manager
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar [illegible] (U.P.)

कार्यालय-जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, संत कबीर नगर

पत्रांकः/बेसिक/स0प्रा0/ 926 /2018–19 दिनांक : 08/03/019

अवध गर्ल्स इण्टर कालेज,
कड़जा, सेमरियावां,
बस्ती/संत कबीर नगर

कृपया आप अपने पत्रांक दिनांक 27.02.2019 का संदर्भ ग्रहण करने की कोशिश करें, उक्त के क्रम में आप को अवगत कराना है कि खण्ड शिक्षा अधिकारी, संत कबीर नगर की जांच आख्या दिनांक 05.03.2019 के अनुसार अवध गर्ल्स इण्टर कालेज, कड़जा, सेमरियावां, बस्ती/संत कबीर नगर की प्री–प्राइमरी से कक्षा–8 (अंग्रेजी माध्यम) तक (पत्र संख्या– 11112–13/2014–15 दिनांक 31.12.2014 के द्वारा) मान्यता प्राप्त है। शिक्षा निदेशक (बेसिक) उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या–डी0ई0/बे0शि0प0/2828–2919/2010–11 दिनांक 07 जुलाई 2010 एवं शासनादेश सं0–419/79–6–2014–18(20)/91 दिनांक 08 मई 2013 के अनुसार विद्यालय वर्तमान शैक्षिक सत्र में संचालित है एवं मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं हुआ है।

7/3/19
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
संत कबीर नगर

Principal
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar 272126 (U.P.)

Manager
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar 272126 (U.P.)

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा
एवं
राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय

समग्र शिक्षा, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ –226 007

वेब-साइट: www.upefa.com ई-मेल: upefaspo@gmail.com दूरभाष: 0522-4024440, 2780384, 2781128

शिक्षा का अधिकार

प्रेषक,

राज्य परियोजना निदेशक,
स्कूल शिक्षा, उ0प्र0
लखनऊ।

सेवा में,

श्री मनीष गर्ग,
संयुक्त सचिव,
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग,
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

दिनांक: 8 ~~फरवरी~~ मार्च, 2022

पत्रांकः रा0प0नि0/ 5654 /2021–22/लखनऊ

विषय– <u>एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं को नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।</u>

महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि राज्य स्तर से विभिन्न वर्षों में मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के संम्बन्ध में नवीन यू–डायस कोड आवंटित किये जाने के अनुरोध अग्रसारित किये गये हैं। एक वर्ष के पूर्व से मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के अनुरोधों को भारत सरकार के स्तर से यह अंकित करते हुए वापस कर दिया गया है कि **"<u>कृपया अपडेटेड मान्यता प्रमाण–पत्र अपलोड कर प्रेषित करें</u>"।**

उक्त प्रेषित किये गये अनुरोधों में वास्तविक शैक्षिक संस्थाएं ही अग्रसारित की गयी हैं। प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन बेसिक शिक्षा अनुभाग–6 के शासनादेश संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 (प्रति संलग्न) के बिन्दु– 15 में उल्लिखित निर्देश **<u>"प्रथमदृष्टया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है"</u>** के अनुसार मान्यता के सम्बन्ध में अपडेटेड प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्राविधान नहीं है। आगामी सत्र से मात्र पिछले एक वर्ष में मान्यता प्राप्त अथवा नवीन संचालित शासकीय संस्थाओं के यू–डायस कोड आवंटन हेतु ही अनुरोध पत्र प्रेषित एवं स्वीकृत किए जाएंगे। इस सम्बन्ध में समस्त जनपदों को निर्देश प्रेषित कर दिये गये हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि पूर्व के त्रुटिवश/समुचित प्रचार–प्रसार के अभाव में यू–डायस कोड आवंटन का अनुरोध न करने वाले विद्यालयों को राज्य स्तर से अग्रसारित अनुरोधों के क्रम में वर्तमान सत्र में यू–डायस कोड आवंटित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–उक्तवत्

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

पृष्ठांकनः रा0प0नि0/ /2021–22/लखनऊ/तद्दिनांक

प्रतिलिपिः

1. जिलाधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि आपके जनपद में संचालित समस्त पात्र शैक्षिक संस्थाओं के यू–डायस कोड के आवंटन की कार्यवाही कराने का कष्ट करें।
2. श्री सबा अख्तर, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक (साइंटिस्ट–एफ)
3. जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।

(अनामिका सिंह)
राज्य परियोजना निदेशक।

Principal
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar 272126 (U.P.)

Manager
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar 272126 (U.P.)

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक
बस्ती

सेवा में,

प्रबन्धक
अवध गर्ल्स इण्टर कालेज ,कड़जा
सेमरियावाँ, बस्ती/ संतकबीरनगर

पत्रांक/ आश्र्0/ 681 /99-2000 दिनांक 24-4-99

विषय: कक्षा 9 के संचालन की अनुमति के संबंध में ।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबंध में सूच्य है कि आपके पत्र दिनांक 24.4.99 एवं क्षेत्रीय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी के आदेश संख्या/क्षे0 बी0 मान्यता /5389/ वाराणसी दिनांक 8.4.99 द्वारा इण्टर मीडियेट शिक्षाअधिनियम 1921 की धारा 9(4) एवं शासन ने इण्टरमीडियेट शिक्षा अधिनियम की धारा 7-क"क" के अन्तर्गत आपके विद्यालय को बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की 2000को हाईस्कूल परीक्षा में ~~००००००~~ हाईस्कूल नवीन हिन्दी,अंग्रेजी,संस्कृत,गणित,/गृहविज्ञान,सामाजिकविज्ञान नैतिक शारीरिक सामाजोपयोगीउत्पादक एवं समाज सेवा कार्य,कला की मान्यता प्रदान की है ।

उक्त मान्यता आदेश के क्रम में आपको कक्षा 9 की उपरोक्त विषयों की xxxxxx कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है ।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रताप)
जिला विद्यालय निरीक्षक
बस्ती

Principal
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar 272126 (U.P.)

Manager
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar 272126 (U.P.)

प्रेषक,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
बस्ती/सन्तकबीरनगर

सेवा में,

प्रबंधक
अवध गर्ल्स इण्टर कालेज
करजा सन्तकबीरनगर

पत्रांक/ शिविर/ 2965 /2003-2004 दिनांक 10-01-03

विषयः इण्टरमीडिएट मानवीकी वर्ग की मान्यता के उपरान्त कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक ।

महोदय,

सूच्य है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र. द्वारा आपके विद्यालय को इण्टरमीडियेट मानवीकी वर्ग की मान्यता राजाज्ञा संख्या 274 दिनांक 21 नवम्बर 2002 की धारा 9(4) के अधीन बालिका विद्यालय के रूप में परिषद की वर्ष 2005 की परीक्षा से हिन्दी, उर्दू, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्रविषयों के साथ प्रदान की गई है ।

उक्त आदेश के क्रम में आपको इण्टरमीडियेट की कक्षा संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है ।

भवदीय,

(हृदय राम आजाद)
जिला विद्यालय निरीक्षक,
बस्ती/सन्तकबीरनगर
01/08/2003

Principal
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar 272126 (U.P.)

Manager
Awadh Girls Inter College
Karja, Semariyawan
Sant Kabir Nagar 272126 (U.P.)